

SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 935734141023011538

Date : 14-10-2023

प्रभाही : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री Gudiya Rani mahato W/O Guru prasad mahato,
मोहल्ला MUKTIPOKHAR SARAIKELA
saraikela -kharswan , 833219
7488611157

एसद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं* - 0030000649000M0 वार्ड सं* 3 हुआ है, आपके स्व* निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	95.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		95.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पूति को निर्दिष्ट सम्पत्ती (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य सत्यापन पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मासिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये हॉलिंग न.ओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विविध संरचनाओं की ब्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.